

meter industry is facing a crisis due to over-production in the country;

(b) whether it is also a fact that Government estimated the demand of KWH meters at 2.1 million per year whereas the actual demand has not exceeded more than one million single-phase meters a year;

(c) whether it is a fact that certain meter factories are producing twice or three times their licensed capacity as a result of which smaller and medium size factories have been thrown out of production; and

(d) the steps proposed to be taken to save and assist the meter industry?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) During last year there was a glut in the market as the electrification schemes did not progress as anticipated but the position is now improving.

(b) The target of 2.1 million meters is for both single phase and poly-phase meters. The year-wise production of these meters during the years 1964-66 is as follows:—

Year	In million Nos.		
	Sing'e-phase	Poly-phase	Total
1964	1.481	0.055	1.536
1965	1.116	0.114	1.230
1966	1.049	0.141	1.190

(c) A few units have increased their production considerably beyond their licensed capacity but they have achieved the same without any import of additional machinery or raw materials. This has not, however, caused the closure of any of the units producing house-service meters.

(d) Various steps have been taken by the Government to remedy the position. This industry has been put on the banned list for further licensing. Several units have been permitted to diversify their activities by manufacture of Moving Iron Volt Meters, Earthing Resistance Meters, Magnetic Level Gauges etc.

### Handloom Industry in U.P.

359. Shri M. Meghachandra: Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether a serious crisis has hit the handloom industry in U.P. and the Union Territory of Manipur;

(b) whether the prices of yarns, dyes and chemicals have been rising fast for the last few months; and

(c) if so, how many looms and weavers have been affected by the crisis and the steps taken to meet the situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi):

(a) Yes, Sir, in so far as handloom industry in U.P. is concerned. No information has been received in the case of Manipur.

(b) There has been some rise in prices of yarn, dyes and chemicals.

(c) No information is available as to how many looms and weavers have been affected.

The following steps have been taken to meet the situation:—

(i) An ad hoc Committee consisting of representatives of Government, mill and handloom interests has been set up. This Committee will exert the necessary restraints on the industry to keep the prices in check.

(ii) Actual users' licences have been granted for the import of permissible dyes and chemicals in a liberalised way during the current licensing period.

संयन्त्र कर्मचारी समिति, दानापुर  
(पूर्व रेलवे)

360. श्री राजाबख्तर शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बातों की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयन्त्र कर्मचारी समिति, दानापुर, (पूर्व रेलवे) के रेलवे प्रशासन

को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें 8 मांगें रखी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं तथा उनके बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) :  
(क) जो नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

पूर्व रेलवे के दानापूर डिवीजन में सीनियर क्लिंकरों और सीक्रेट फायरमैनो की पदोन्नतियां

861. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानापूर डिवीजन में सीनियर क्लिंकर और सीक्रेट फायरमैन पदोन्नति के पात्र नहीं हैं जबकि अन्य डिवीजनों में उनसे कनिष्ठ श्रेणियों की पदोन्नति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या परिचालक कर्मचारियों को स्थायी बनाने तथा उनकी पदोन्नति के लिए कोई निश्चित भववि निश्चित की गई है और यदि हां, तो कितनी ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) :

(क) और (ख). क्लिंकरों के पद से सेक्रेट फायरमैन और तदुपरान्त सीक्रेट फायरमैन के रूप में उनकी पदोन्नति, सम्बन्धित मण्डल में कर्मचारियों को प्रवृत्ता और रिक्त स्थानों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है। इसलिए विभिन्न मण्डलों की स्थिति की एक सूचने से तुलना नहीं की जा सकती।

(ग) जी नहीं, क्योंकि रनिंग कर्मचारियों का स्थायीकरण और पदोन्नति

रिक्त स्थानों की उपलब्धता और सम्बन्धित व्यक्ति की उपयुक्तता पर निर्भर है।

'ए' ग्रेड के फायरमैन

862. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन 'ए' ग्रेड के फायरमैनो की सीधी भरती करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और जूनियर फायरमैनो की 'ए' ग्रेड के फायरमैनो के पद पर पदोन्नति करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) उक्त ङंग से भर्ती किये गये / पदोन्नत किये गये फायरमैनो के वेतनों में असमानता होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) :

(क) से (ग). फायरमैन ग्रेड 'ए' की 75 प्रतिशत खाली जगहें मैट्रिक या समकक्ष अर्हता वाले व्यक्तियों की अप्रैटिस फायरमैन के रूप में सीधी भर्ती करके भरी जाती है और बाकी 25 प्रतिशत जगहें कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं। चालक-वर्ग अंचे पदों और लोको शाखा में पर्यवेक्षक पदों पर शैक्षणिक अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को लगाने के लिए इस तरह की सीधी भर्ती आवश्यक है। लेकिन फायरमैन ग्रेड 'ए' के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त और पदोन्नत कर्मचारियों के वेतन-मान में कोई अन्तर नहीं है।

1960 की रेलवे हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को दंड

863. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1960 की रेलवे हड़ताल में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को दिये गये दंड खाना कर दिये गये हैं;